डा० वी० के० सक्सेना,
मुख्य सचिव ।

गोपनीय

अर्धशासकीय पत्र सं०– 1323/ उन्तालिस (2)–
12 (5)/74
उत्तर प्रदेश शासन
सतर्कता अनुभाग–2
लखनऊः दिनांकः 18 मई, 1991

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रशासकीय विभागों द्वारा किसी मामले में सतर्कता जाँच कराये जाने का विचार किये जाने पर उनके प्रस्ताव का गहराई से परीक्षण किये जाने एवं सतर्कता जाँच के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रदेश में "राज्य सतर्कता समिति" गठित है । भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य को प्रभावी बनाये जाने हेतु गत वर्ष समिति के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई है ।

2–इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि समय-समय पर जारी समस्त पार्श्वांकित

अर्धशा० पत्रांक– 155/39 (2)–9 (5)/70, दिनांक 25-1-74,	आदेशों को
अर्धशा० पत्रांक– 2401/39 (2)–9 (5)/70, दिनांक 20-9-74,	अतिक्रमित
अर्धशा० पत्रांक– 3939/39 (2)–9 (5)/70, दिनांक 28-1-75,	करते हुये
अर्धशा० पत्रांक– 4504/39 (2)–9 (5)/70, दिनांक 30-12-75,	"राज्य
अर्धशा० पत्रांक– 334/39 (2)–9 (5)/70, दिनांक 27-1-76,	सतर्कता
अर्धशा० पत्रांक– 4790/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 1-11-76,	समिति"
अर्धशा० पत्रांक– 2947/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 30-5-77,	को
अर्धशा० पत्रांक– 4903/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 3-9-77,	अब
अर्धशा० पत्रांक– 4402/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 6-9-77, (टी. सी.)	निम्नलिखित
अर्धशा० पत्रांक– 6115/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 28-11-77,	रूप
अर्धशा० पत्रांक– 3245/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 27-1-88,	से
अर्धशा० पत्रांक– 559/39 (2)–12 (5)/74, दिनांक 22-2-88,	गठित
अर्धशा० पत्रांक–यू० ओ०– 36/39 (4)–12 (5)/74, दिनांक 24-3-90,	किये

जाने का निर्णय लिया गया है :–

1–मुख्य सचिव	..	अध्यक्ष
2–आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास	..	सदस्य
3–मा० मुख्य मंत्री जी के सचिव	..	सदस्य
4–गृह सचिव	..	सदस्य
5–सतर्कता सचिव	..	सदस्य/संयोजक

3–भ्रष्टाचार उन्मूलन मुख्यतया आपका दायित्व है तथा जैसा कि मेरे अर्धशासकीय पंत्राक –1262/39–4–91–42 (425)/89, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 में स्पष्ट किया जा चुका है कि गम्भीर प्रकृति के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों में कुछ शर्तों के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में जाँच का कार्य आप सीधे भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप सकते हैं । भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जाँच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध सामान्यतया राजपत्रित अधिकारियों एवं समकक्ष लोक सेवकों के सम्बन्ध में ही किया जाना चाहिये । इस हेतु आवश्यक परीक्षण के उपरान्त, सतर्कता विभाग द्वारा जाँच का औचित्य प्रतीत होने पर, प्रशासकीय विभाग अपने प्रस्ताव सहित संबंधित पत्रावली एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी के साथ , जिसमें आरोपों का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वे बिन्दु भी स्पष्टतया अंकित हों जिनके आधार पर सतर्कता जाँच का औचित्य पाया जा रहा है, दस स्वच्छ टंकित प्रतियों में सतर्कता विभाग को अग्रसारित करेंगे । **प्रशासकीय विभाग इस बात का विशेष ध्यान रखेगें कि मामला "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष सतर्कता विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के पूर्व वे स्वयं अपने प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन नहीं प्राप्त करेगें ।** विभाग के मा० मंत्रीगण द्वारा जब कभी किसी मामले में सतर्कता जाँच कराने की जिज्ञासा की जाये तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाये । यदि "राज्य सतर्कता समिति" किसी मामले में सतर्कता जाँच कराये जाने का निर्णय लेती है तब सतर्कता विभाग द्वारा उच्चादेश प्राप्त करने के बाद (जिसमें प्र० वि० के प्रभारी मंत्री जी की स्वीकृति आवश्यक होगी) अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

4–यदि किसी मामले में विचारोपरान्त "राज्य सतर्कता समिति" सतर्कता जाँच आदेशित करने के बजाय अन्य निर्णय लेती है तो संबंधित पत्रावली प्र० वि० को लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु वापस कर दी जायेगी ।

5–यह प्रक्रिया उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिसमें मुख्य मंत्री जी स्वयं ही सतर्कता जाँच का आदेश देंगे ।

6–सतर्कता जाँच आदेशित करने मात्र से ही भ्रष्टाचार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है । जाँच के समय से पूरा होने तथा उसके प्रभावी सम्पादन एवं जाँच के पूर्ण होने के उपरान्त उसके निष्कर्षों पर विचार कर प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही करना भी

उतना ही महत्वपूर्ण है । अतः इस दृष्टिकोण से "राज्य सतर्कता समिति" सतर्कता जाँच आदेशित करने के कार्य के साथ-साथ निम्न कार्य भी करेगी :—

1— सतर्कता जाँच में दोषी पाये गये लोक सेवकों के संबंध में, सतर्कता विभाग द्वारा गहन परीक्षण के उपरान्त एवं जाँच से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बृहद दण्ड या लघु दण्ड देने की संस्तुति की जाती है या अभियोजन चलाये जाने हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है । अतः सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुरूप ही कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार है और उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिये, यद्यपि सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही करने के लिये प्र० वि० अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकने में पूर्णतः सक्षम है । अतएव जब सतर्कता विभाग द्वारा अभियोजन की कार्यवाही की संस्तुति की जाय और प्र० वि० उसे स्वीकार न कर मामले को समाप्त करने का विचार करें या भिन्न कार्यवाही करने का निर्णय लेना चाहें या सतर्कता विभाग द्वारा बृहद या लघु दण्ड देने की संस्तुति किये जाने पर प्र० वि० द्वारा प्रस्तावित स्तर से निम्न स्तर का दण्ड देने का विचार किया जाये या मामले को समाप्त करने पर विचार किया जाये तो अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष सतर्कता सचिव के माध्यम से मामला प्रस्तुत किया जायेगा और समिति का मत प्राप्त हो जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

2— सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति पर दंडित लोक सेवक यदि अपील अथवा प्रत्यावेदन करता है और यदि प्र० वि० इस अपील/प्रत्यावेदन को स्वीकार करना चाहते हैं तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व उसे सतर्कता सचिव के माध्यम से "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष प्रस्तुत कर उनका मत प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

3— प्रशासनाधिकरण से संबंधित मामलों में प्रशासकीय विभागों द्वारा कार्यवाही किये जाने के बारे में विस्तृत निर्देश तत्कालीन मुख्य सचिव के स्तर से जारी कार्यालय ज्ञाप सं० —6285/ उन्तालिस (2)—2 (8)/1977, दिनांक 7 फरवरी, 1978 में है । फिर भी यदि प्र० वि० प्रशासनाधिकरण की जाँच आख्या के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा संस्तुत किये गये दण्ड से भिन्न दण्ड देना चाहते हैं तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व उसे सतर्कता सचिव के माध्यम से "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष प्रस्तुत कर उनका मत प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

4— "राज्य सतर्कता समिति" सर्तकता विभाग द्वारा संस्तुत मामलों में प्र० वि० में हो रहे विलम्ब की भी समीक्षा करेगी ।

कृपया तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
डा० वी० के० सक्सेना.

समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (नाम से)

पृष्ठांकन संख्या— 1323 (1)/ उन्तालिस (2)—12 (5)/74, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिन्हा,
अनुसचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी०— 1—सर्तकता— 5-6-91—(624)—800 (फोटो आफसेट) ।